न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 318 / 2025   **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025 / 568**
दायर दिनांक :– 07.10.2025   **निर्णय दिनांक :– 09.02.2026**

1. किसनाराम पुत्र लादूराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
2. चैनाराम पुत्र लादूराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
3. पपूराम पुत्र लादूराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
4. पालू पत्नी लादूराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
5. रामेश्वरलाल पुत्र लादूराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
6. सोनाराम पुत्र लादूराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थीगण

बनाम

1. अर्जुनराम पुत्र फगलूराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
2. प्रतापाराम पुत्र फगलूराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
3. मनोहरराम पुत्र फगलूराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
4. समदी पत्नी भरमलराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
5. अनीसखां पुत्र अब्दुखां जाति मुसलमान निवासी कालूखां की ढाणी तह. बाप जिला फलोदी
6. जानूखां पुत्र हाजीहकीम जाति मुसलमान निवासी कालूखां की ढाणी तह. बाप जिला फलोदी
7. भागेखान पुत्र हकीम खान जाति मुसलमान नि. कालूखां की ढाणी तह. बाप जिला फलोदी
8. रमजान खां पुत्र नूरदीन जाति मुसलमान नि. कालूखां की ढाणी तह. बाप जिला फलोदी
9. रसिता पत्नी अलाबक्स जाति मुसलमान नि. कालूखां की ढाणी तह. बाप जिला फलोदी
10. रहमत पत्नी रईसखान जाति मुसलमान नि. कालूखां की ढाणी तह. बाप जिला फलोदी
11. लतिबों पत्नी मीरमोहम्मद जाति मुसलमन नि. कालूखां की ढाणी तह. बाप जिला फलोदी
12. सरादीन पुत्र कायमदीन जाति मुसलान नि. कालूखां की ढाणी तह. बाप जिला फलोदी
13. हबीबखान पुत्र अब्दूखान जाति मुसलमान नि. कालूखां की ढाणी तह. बाप जिला फलोदी
14. हबीबो पत्नी यासिन खान जाति मुसलमान नि. कालूखां की ढाणी तह. बाप जिला फलोदी
15. ग्राम पंचायत कानासर पंचायत समिति बाप तहसील बाप जिला फलोदी
16. राज्य सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित:–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

Satya..
उप खण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थीगण की सह खातेदारी अधिकारों कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नम्बर 973/1 रकबा 4.6943 हैक्टेयर ग्राम कानासर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप की सरहद में स्थित है। उक्त भूमि पर प्राथीगण का राजस्व रेकर्ड जमाबंदी अनुसार उक्त भूमि पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है और प्रार्थीगण ने अपनी उक्त भूमि पर रहवासीय ढाणीयां, पानली के टांके, पशुओं के बाड़े इत्यादि बना रखे है। उक्त रहवासीय ढाणीयों में प्रार्थीगण अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करते आ रहे है। प्रार्थीगण ने अपनी उक्त खातेदारी भूमि की पैमाईश करवाने हेतु तहसीलदार बाप के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया और तहसीलदार बाप ने कमांक 2025/49471/37 दिनांक 28.05.2025 को उक्त भूमि की पैमाईश करने के आदेश पटवारी हल्का को दिये। पटवारी हल्का उक्त आदेश की पालना में दिनांक 21.06.2025 को मौके पर जाकर प्रार्थीगण की उपस्थित में उक्त भूमि की पैमाईश की तथा मौका फर्द तैयार कर प्रार्थीगण एवं उपस्थित मौतबीरान को पढ कर सुनाया गया। पैमाईश फर्द नियमानुसार तहसील कार्यालय में जमा करवा दी। प्रार्थीगण पैमाईश अनुसार अपनी भूमि के चारों ओर खूंटे रोपने लगे तो उक्त भूमि के पड़ोसी खातेदार अप्राथीगण संख्या 1 ता 15 ने पैमाईश अनुसार प्रार्थीगण की हद में खूंटे रोपने नहीं दिये और उक्त पैमाईश को मानने से इन्कार कर दिया। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की उक्त भूमि में बरसात के मौसम में काश्त करते है तब उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थीगण द्वारा की गई काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है और प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति हो रही है। इसलिए प्रार्थीगण उपरोक्त वर्णित भूमि की दिनांक 21.06.2025 को हुई भूमि पैमाईश अनुसार प्रार्थीगण अपनी हद में पत्थरगढी करवाना चाहते है। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक के नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 15 की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण संख्या 16 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 16 पैरोकार सरकार ने जवाब में बताया कि सरहद मौजा कानासर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 973/1 रकबा 4.6943 हैक्टेयर भूमि का सीमाज्ञान उपरान्त विवाद होने से पत्थरगढी किया जाना उचित है। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि सरहद मौजा कानासर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप

Satya..
उप खण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

जिला फलोदी के खसरा नम्बर 973/1 रकबा 4.6943 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थीगण द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि की पैमाईश फर्द दिनांक 21.06.2025 अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द, पैरोकार सरकार के जवाब का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि सरहद मौजा कानासर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 973/1 रकबा 4.6943 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार है रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का पूर्ण अधिकार है। वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी पैमाईश फर्द दिनांक 21.06.2025 के अनुसार किया जाना उचित है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है कि सरहद मौजा कानासर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 973/1 रकबा 4.6943 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुवे पैमाईश फर्द दिनांक 21.06.2025 के अनुसार किये जाने के आदेश तहसीलदार बाप को दिये जाते है। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। प्रार्थीगण का उक्त वर्णित आराजीयात पर कब्जा नहीं होने की स्थिति में यह आदेश कब्जा सुपूर्दगी हेतु मान्य नहीं है। मौका कमिश्नर शुल्क 1000/– प्रार्थीगण द्वारा अदा किया जायेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Satya..

(सत्य नारायण–I, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)